2018/00017

Tody
8/2/18

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री हीराराम S/O मूलाराम जाट
ग्रा. डेह

किस्म मुकदमा — ~~आर.सी.ए. 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 09/18 वर्ष 2018 फसल रबीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तालीम
22/1/18	पटवारी हल्का ...उत्तरी... की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चर्क~~ ...स्वर्णपुरा... के खसरा नं./~~मु.नं.मं.~~ ...168... .... तादादी ...0.03... बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत ...2074... में नाजायज कब्जा कर ~~काश्त कर~~ आबादी कर ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे/ ~~एवं भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर~~ निलाम हेतु ~~लिखा जावे~~। पत्रावली आईन्दा दिनांक ...8/2/18... को पेश हो।	0.03 बीघा 06 22/1/18
8/2/18	पत्रावली पेश हुई। स्वर्णपुरा गैर हाजिर उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को शामिल मिसल किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।	हीराराम खा नम्बर में फैसला 09 के द्वारा 09 पर भोग शामिल की गई अहलमद 12/5/18

Scanned by CamScanner

नायब

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्याः 09 /2018

दिनांकः 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ग्रा.पं. ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल हीरारा‌म पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन ढेह ने ग्राम ढेह ..... के खसरा नं0 168 रकबा 0.03 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में कास्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल हीरारा‌म पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट साकिन ढेह ग्राम ढेह ..... खसरा नं0 168 रकबा 0.03 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व, अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0.08 पैसे का 50 गुणा रूपये 04/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत ए.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner